न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1097 एक/2007 विरूध्द आदेश अंतरिम आदेश तथा अंतिम आदेश दिनांक 12–04–07 पारित अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी प्रकरण कमांक 16/अपील/06–07.

1– महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. सुभाषचन्द
2 दिलीप सिंहल पुत्र स्व. सुभाष सिंहल
3 मनीषा पत्नी स्व. सुभाष चन्द
4 अनिलकुमार पुत्र स्व. बालकिशनदास
व्दारा मुख्तयारआम कैलाश सिंहल पुत्र
स्व. बालकिशन दास सिंहल
समस्त नि0 निजी नवग्रह मंदिर के पीछे,
कमलागंज, शिवपुरी, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– महिला भगवती देवी पत्नी स्व. जंगबहादुर अष्ठाना
2 अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी
श्री आदित्य सिंह तोमर

– अनावेदकगण

श्री कैलाश सिंहल, मुख्त्यारआम – आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदक क0 1
श्री ए व0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0 2

आदेश

(आज दिनांक 25.6. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के प्रकरण कमांक 16/अपील/06 07 में पारित अंतरिम

एवं अंतिम आदेश दिनांक 12--04--07 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक भगवती देवी एव हरीमोहन व्दारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23--11 02 एवं 09--10--06 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण व्दारा कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनाक 12--04--07 व्दारा आवेदकगण के कास आब्जेक्शन निरस्त किये हैं और इसी दिनांक 12--04--07 को अंतिम आदेश पारित कर भगवतीदेवी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इन आदेशों के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण ने लिखित तर्कों में यह कहा है कि आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे क. 215 के रकबा 205.33 वर्गमीटर क्षेत्र पर अनावेदकों ने बलपूर्वक कब्जा कर निर्माण कर लिया जो दिनांक 14--01--01 को हुए सीमांकन से प्रमाणित हुआ। अनावेदकों ने कब्जा रिक्त नहीं करने पर आवेदकों ने धारा 250 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 23--11--02 को अनावेदकों को विरूध्द 7 दिवस में कब्जा रिक्त करने के आदेश हुए। अनावेदकों की अपील अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने दिनांक 26--02--03 को निरस्त कर दी और दिनांक 20--6--03, 26--5--04 एवं 12--9--05 को अनावेदकों के विरूध्द सिविल जेल वारन्ट बनाने के आदेश तहसीलदार ने दिये। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने भी आवेदकों को कब्जा दिलाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार ने कई बार पटवारी एवं गिरदावर को मौके पर कब्जा दिलाने भेजा परन्तु कब्जा नही मिला। आवेदकगण का तर्क है कि अनावेदकों

की अपील अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पूर्व मे निरस्त की जा चुकी है, इसलिये रेस्जूडिकेटा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील ग्राह्य करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। उनका यह भी तर्क है कि अंतरिम एवं अंतिम आदेशों के विरूध्द एक ही अपील ग्राह्य करना संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 250 में अपील का प्रावधान न होकर केवल निगरानी का प्रावधान है जिसका क्षेत्राधिकार कलेक्टर को है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। आवेदकगण को अपील में कॉरा आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदकगण व्दारा कारस आब्जेक्शन में उठाये गये मुद्दों पर निष्कर्ष निकाले बिना अनावेदक की अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय के धारा 250 के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक ~~के अभिभाषक~~ का तर्क है कि अनावेदक महिला भगवतीदेवी व्दारा मान. उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी और मान. उच्च न्यायालय व्दारा रिट याचिका में दिये निर्देशानुसार ही अनावेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील ग्राह्य कर उसका निराकरण गुण-दोष पर करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का मकान भू–राजस्व संहिता प्रभावशील होने के पूर्व से बना है जिसमे वह निवासरस है। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत भूमि से 6 माह के अन्दर बेदखल करने पर ही कब्जा वापिसी हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का मकान बहुत पूर्व से बना होने से उसे संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत हटाने का आदेश देना अधिकारिता रहित है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेखानुसार किया जाय।

6/ मैंने मान. उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन कमांक 5595/2006 में पारित आदेश दिनांक 06–11–2006 का अवलोकन किया। मान. उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है–

"Petitioners by Shri T.C.Singhal, Addocate.

This petition is field by the petitioner challenging order dated 9/10/2006 passsed by Tehsildar under Section 250 of M.P.Land Revenue Code.

The counsel for the petitioner prays for withdrawal of the petition with a liberty to filed appeal against the said order. In case if appeal is filed by the petitioner within 15 days from today, same shall be treated within limitation.

Petition stands disposed of with the aforesaid liberty."

मान. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि पिटीशनर व्दारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–10–06 के विरूध्द रिट पिटीशन प्रस्तुत की गयी थी और पिटीशनकर व्दारा यह पिटीशन विथडा करने के निवेदन पर मान. उच्च न्यायालय व्दारा अपील आदेश के दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने पर समयावधि में मान्य करने के आदेश दिये हैं। मान. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन में तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–10–06 को चेलेन्ज किया गया था और इसी आदेश के विरूध्द 15 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने पर उसे मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समयावधि में होना मान्य किया जा सकता था। अनावेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील तहसीलदार के आदेश

दिनांक 23-11–02 तथा पारिणामिक आदेश दिनांक 9 10 06 के विरूध्द दिनांक 14 11–06 को प्रस्तुत की गयी है। मान. उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के आदेश दिनांक 9 10 06 के विरूध्द प्रस्तुत किया गया अपील आवेदनपत्र सिर्फ समयावधि में होना मान्य किया जा सकता है। तहसीलदार के आदेश दिनाक 9 10–06 अपील योग्य हैं या नहीं, इसका निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी को उभय पक्ष के तर्को उपरान्त करना चाहिये था। तहसीलदार का आदेश दिनांक 9–10–06 अंतरिम स्वरूप का है, इस कारण संहिता की धारा 46 (घ) के अनुसार तहसीलदार के आदेश दिनांक 9 10–06 के विरूध्द संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील ग्राह्य योग्य नहीं है। अनावेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–11–02 के विरूध्द लगभग 4 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। म0प्र0 राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघ मर्या0 भोपाल तथा अन्य वि. पी0एस0कोटालकर (2010 राजस्व निर्णय 254) में राज्य सहकारी अधिकरण ने मान. उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 2004 रा.नि. 196 का अनुशरण करते हुए यह सिध्दान्त प्रतिपादित किया है कि –

"समय वर्जित विवाद परिसीमा का प्रश्न का विनिश्चयन किए बिना आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती– न्यायालय का यह आबद्धकर कर्त्तव्य है कि पहले–हपल परिसीमा के प्रश्न का विनिश्चय करें।"

रामभुवन वि. रामविशाल (2002 रा नि 254) में राजस्व मण्डल व्दारा यही व्यवस्था दी गयी है कि

"समय वर्जित अपील– परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से विनिश्चित किया जाना चाहिये।"

पी0के0रामचन्द्रन वि0 स्टेट आफ केरला (1998 ए आई आर एससी 2276) में मान0 सर्वोच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि satisfactoty explanation के बिना विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। मंदिर श्रीराम जानकी वि. रामकुंवर बाई (2013 तीन एम पी डब्ल्यू एन नोट नं. 69) में भी मान. उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि -

" परिसीमा अधिनियम, 1963 -धारा 5- अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी- विलम्ब 2687 दिन का- उचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं- विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।"

उक्त न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक व्दारा विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं देने तथा विलम्ब माफी का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-11-02 के विरूध्द प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होने से ग्राह्य योग्य नहीं थी, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं देने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा त्रुटि की गयी है।

7/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियॉ से स्पष्ट है कि अनावेदक भगवतीदेवी आदि ने तहसीलदार के प्रकरण कमांक 15/ 2000-01/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 23-11-02 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो अनुविभागीय अधिकारी ने प्र.क. 38/2002-03/अपीलमाल पर पंजीबध्द की गयी। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अनावेदक भगवतीदेवी की यह अपील दिनांक 25-02-03 को अदम पैरवी में खारिज की गयी है। ऐसी दशा में पूर्व में अनावेदक भगवतीदेवी आदि व्दारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 15/ 2000-01/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 23-11-02 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी थी, इस कारण उनके व्दारा पुनः तहसीलदार के प्रकरण कमांक 15/ 2000-01/अ 70 में आदेश दिनांक 23-11-02 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2006 में

प्रस्तुत अपील रेसजूडिकेटा के सिध्दान्त के अनुसार सुनवायी योग्य नहीं थी। यदि अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के अदम पैरवी आदेश से असन्तुष्ट थी तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण को पुनःनम्बर पर लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करना चाहिये था या सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती देना चाहिये थी।

8/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख एवं आदेशों से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12–04–07 व्दारा आवेदकगण के कॉस आब्जेक्शन विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल होने से खारिज कर यह उल्लेख किया है कि 'रिस्पो. अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश के किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण मूल अपील के सुनवाई में बहस के दौरान करा सकता है। प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया जाता है, किन्तु इस अंतरिम आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदकगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 12–04–07 को ही अंतिम आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 12–04–07 तथा अंतिम आदेश दिनांक 12–04–07 निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप तहसीलदार का आदेश दिनांक 23–11–02 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0